भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 2538

गुरूवार, 24 मार्च, 2022/3 चैत्र, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

आईटीडीसी के जलपानगृहों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता

2538. श्री अखिलेश प्रसाद सिंहः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) के जलपानगृहों में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता उसकी कीमत के अनुरूप नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या आईटीडीसी में खाद्य पदार्थों के मूल्य की तुलना में खाद्य पदार्थों की कोई गुणवत्ता संबंधी लेखापरीक्षा की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री जी. किशन रेड्डी)**

(क) : वर्तमान में आईटीडीसी निम्नलिखित कैंटीनों में केटरिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है:

1. संसद भवन, नई दिल्ली
2. वेस्टर्न कोर्ट कैंटीन, जनपथ, नई दिल्ली

संसद भवन में खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतें संसद भवन के प्राधिकारियों द्वारा तय की जाती हैं ।

वेस्टर्न कोर्ट कैंटीन में खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतें संसद भवन समिति, लोक सभा सचिवालय द्वारा तय की जाती हैं ।

इसके अतिरिक्त, यह सूचित किया जाता है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आईटीडीसी द्वारा कच्ची सामग्री की खरीद भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है और खाद्य तथा पेय पदार्थ तैयार करने के लिए योग्यता प्राप्त एवं अनुभवी रसोइयों को नियुक्त किया जाता है और संपूर्ण प्रक्रिया आईटीडीसी के शेफ्स की देखरेख में पूरी की जाती है ।

(ख) : एफएसएसएआई दिशानिर्देशों के अनुसार रसोईघरों में तैनात अनुभवी शेफ्स द्वारा गुणवत्ता की जांच दैनिक रूप से की जाती है ।

*****